Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

Sat - 13 Jun - 2026 | Year - 01 | Issue - 68 | Page - 01 | Rs. - 5 | www.azadvaani.com

तस्करी और नकली उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई मजबूत करने के लिए पंजाब पुलिस का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

चंडीगढ़/जालंधर, 13 जून:मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच के अनुरूप संगठित आर्थिक अपराधों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और प्रभावी बनाने की दिशा में पंजाब पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए फिक्की कैस्केड (FICCI CASCADE) के सहयोग से पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। इस आधे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को तस्करी और नकली उत्पादों के कारोबार से निपटने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रक्रियात्मक जानकारी प्रदान करना था।

महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य भर से 60 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के निर्देशों पर किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विशेष पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक एवं सड़क सुरक्षा) अमरदीप सिंह राय ने कहा कि तस्करी और नकली उत्पादों का अवैध कारोबार लगातार जटिल होता जा रहा है, जिससे न केवल वैध व्यापार और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय और प्रभावी पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।

गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव अंकुरजीत सिंह ने भी अवैध व्यापार के बढ़ते स्वरूप पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस कर्मियों को अधिक सतर्क और सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता बताई। वहीं जेल विभाग के सचिव मोहम्मद तैयब ने आर्थिक अपराधों के खिलाफ कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में पुलिस की निरंतर निगरानी और सतर्कता को बेहद महत्वपूर्ण बताया।

कार्यक्रम के दौरान फिक्की कैस्केड के सलाहकार एवं दिल्ली पुलिस के पूर्व विशेष आयुक्त दीप चंद ने तस्करी और नकली उत्पादों के गंभीर आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को ट्रेडमार्क अधिनियम 1999, कॉपीराइट अधिनियम 1957 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए इन कानूनों के प्रभावी उपयोग के बारे में मार्गदर्शन दिया।

आईटीसी के कॉर्पोरेट मामलों के उपाध्यक्ष आशीष पॉल ने विशेष रूप से सिगरेट की तस्करी और नकली उत्पादों के बढ़ते कारोबार पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इससे सरकार को भारी राजस्व हानि होती है, ब्रांड अधिकारों का उल्लंघन होता है और उपभोक्ताओं का भरोसा कमजोर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि तस्करी से अर्जित धन का उपयोग कई बार आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में भी किया जाता है।

नशा तस्करों पर शिकंजा, 67 हजार गिरफ्तार

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब सरकार की नशों के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए कहा कि राज्य में नशा तस्करों के विरुद्ध चल रही मुहिम के तहत अब तक 67,000 से अधिक तस्कारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि नशों के पूर्ण खात्मे के लिए जनसहयोग बेहद जरूरी है। लोगों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में नशा तस्करी से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देनी चाहिए, जबकि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

संधवां ने माता-पिता से अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने और उनके व्यवहार पर नजर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पारिवारिक रिश्तों की मजबूती युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशों से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान ला रहा बदलाव: 90 हजार से अधिक लोगों का उपचार, परिवारों की भूमिका पर जोर

चंडीगढ़, 13 जून 2026: पंजाब सरकार की 'युद्ध नशों विरुद्ध' मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। 1 मार्च 2025 से शुरू इस अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ नशामुक्ति, पुनर्वास और जन-जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि मार्च 2025 से मई 2026 तक राज्य के नशामुक्ति केंद्रों और ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट केंद्रों में 90,000 से अधिक नशा प्रभावित व्यक्तियों का उपचार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए भी गंभीरता से कार्य कर रही है।

जेल में बंद गैंगस्टर के नेटवर्क पर पंजाब पुलिस का बड़ा प्रहार, दो सहयोगी हथियारों सहित गिरफ्तार

चंडीगढ़, 13 जून:पंजाब को अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों से मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एजीटीएफ ने जेल में बंद एक गैंगस्टर के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो देसी .32 बोर पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कुलदीप सिंह उर्फ चीमा निवासी गांव अकलिया कलां, जिला बठिंडा और अभिमान सिंह उर्फ अभि निवासी भागू वाली ढाणी, गांव खुंडे हलाल, जिला श्री मुक्तसर साहिब के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी फिरोजपुर क्षेत्र में सक्रिय एक जेल में बंद गैंगस्टर द्वारा संचालित आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे और उसके निर्देशों पर गतिविधियां चला रहे थे।

डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कुलदीप सिंह उर्फ चीमा पहले से ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह नेटवर्क किन-किन गतिविधियों में शामिल था और इसके अन्य सदस्य कौन हैं।

ऑपरेशन की जानकारी देते हुए एडीजीपी एजीटीएफ प्रमोद बान ने बताया कि बठिंडा इकाई की टीम नियमित गश्त पर थी। इसी दौरान कैंटोनमेंट बाईपास रिंग रोड की सर्विस लेन के पास झाड़ियों में बैठे दो संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर घबरा गए और छिपने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में लिया।

तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो अवैध .32 बोर पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए। बरामद हथियारों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में थाना सिविल लाइन, बठिंडा में एफआईआर संख्या 156 दिनांक 12 जून 2026 को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गहन जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर पंजाब सरकार की अनूठी पहल

चंडीगढ़, 13 जून:विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार की 'भगवंत मान सरकार, तुहाडे द्वार' पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुशासन और सम्मानजनक जीवन का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरी है। 1076 हेल्पलाइन के माध्यम से सरकार बुजुर्गों को उनके घर पर ही विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने, लंबी कतारों में खड़े होने और दूसरों पर निर्भर रहने की परेशानी से राहत मिली है।

दिसंबर 2023 में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाना था। शुरुआत में 45 सेवाओं के साथ शुरू हुई यह पहल आज 29 विभागों की 436 सेवाओं तक विस्तारित हो चुकी है। नागरिक केवल 1076 हेल्पलाइन पर कॉल करके आवश्यक सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद प्रशिक्षित सेवा सहायक उनके घर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच, आवेदन प्रक्रिया और अन्य औपचारिकताएं पूरी करते हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार योजना शुरू होने के बाद से अब तक 3.31 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आम लोगों को अधिक राहत देने के लिए सरकार ने डोरस्टेप सेवा शुल्क को 120 रुपये से घटाकर मात्र 50 रुपये कर दिया है।

इस योजना का सबसे अधिक लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिला है। करीब 9,000 बुजुर्गों ने 1076 हेल्पलाइन के माध्यम से घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना इसके सबसे लोकप्रिय सेवाओं में शामिल है। अक्टूबर 2025 में हेल्पलाइन के जरिए 685 वरिष्ठ नागरिकों ने वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन किया था, जबकि फरवरी 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,658 तक पहुंच गई। अप्रैल 2026 में भी 1,125 बुजुर्गों ने इस सुविधा का लाभ उठाया।

डिजिटल युग में जहां कई बुजुर्ग ऑनलाइन प्रक्रियाओं, ओटीपी सत्यापन और दस्तावेज अपलोड जैसी तकनीकी चुनौतियों का सामना करते हैं, वहीं 1076 मॉडल तकनीक और मानवीय सहायता का बेहतर समन्वय प्रस्तुत करता है।

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. Owner, Publisher & Chief Editor: Shafiur Rahman. Title Verification Number: PBBIL/26/A0779. Periodicity: Monthly.